पत्रांक–8/आ0 (राज0 नि0) –1–28/2016.......................

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....................

विषयः– स्व0 विनय कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, बहादुरगंज (किशनगंज) के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्व0 विनय कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, बहादुरगंज (किशनगंज) को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण अधिसूचना सं0–2363 दिनांक 13.05.2016 द्वारा न्यायिक हिरासत की तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा अधिसूचना सं0–973 दिनांक 09.03.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया था। निलंबन मुक्त होने के पश्चात दिनांक 16.03. 2017 को विभाग (मुख्यालय) में योगदान समर्पित किया गया था। उनके विरूद्ध संकल्प संख्या–3146 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। दिनांक–19.08.2017 को उनका असामयिक निधन हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र संख्या–8811 दिनांक 18.07.17 में निहित अनुदेश के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना सं0–4097 दिनांक 25.09.2017 द्वारा संचिकास्त किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11(2) में उल्लिखित है कि जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वह निलंबन नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के कम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

3. अतएव उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के आलोक में स्व0 विनय कुमार द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि दिनांक–13.05.2016 से दिनांक 15.03.2017 तक की अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।

4. इसमें प्रधान सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0नि0)–1–28/2016...74.../ पटना, दिनांक...05.01.18...

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह– निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05/आई 0 टी0 मैनेजर एवं श्रीमती कुमारी रूपाली, पति–स्व0 विनय कुमार, अशोक नगर, रोड नं0–3 कंकड़बाग, पटना–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना

Letter np